



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1659]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2008/अग्रहायण 4, 1930

No. 1659]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2008/AGRAHAYANA 4, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2008

का.आ. 2728 (अ).—पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 के नियम 10के साथ पठित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत ऐसी प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट की गई प्रयोगशालाओं को, पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में और केन्द्रीय सरकार अथवा उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति प्राप्त अधिकारी द्वारा वायु, जल, मृदा अथवा अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए नियमों और व्यक्तियों को सरकारी विश्लेषणकर्ता के रूप में उक्त तालिका के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है, और उस प्रयोजन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 18 जुलाई, 2007 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1174(अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है नामशः :—

उक्त अधिसूचना की संलग्न तालिका में, क्रम संख्या 69 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, नामशः :—

तालिका

क्रम सं.	प्रयोगशालाओं का नाम	सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम	लागू और कब तक मान्य
(1)	(2)	(3)	(4)
70	मैसर्स विजन लैब्स हाऊस नं. 16-11-23/37/ए, फ्लैट नम्बर 205, द्वितीय तल, सागर होटल बिल्डिंग आर. टी. ए. ऑफिस के सामने, मूसारामबाग, मालाकपेट, हैदराबाद-500036	(1) श्री टी. लक्ष्मीकांत रेड्डी (2) श्री जी. राधा कृष्णा (3) श्री के. जितेन्द्र रेड्डी	25-11-2008 से 24-11-2013
71.	मैसर्स लोटस ग्रेनजिस (इण्डिया) लिमिटेड संख्या 30, एस बी एच लेन, लासंस बे कॉलोनी, विशाखापट्टनम-530017	(1) प्रो. एम. वी. सुब्बा राव (2) श्री परदासारधि (3) श्री यू. श्रीनिवास	25-11-2008 से 24-11-2013"

[फा. सं. क्यू-15018/7/2003-सी पी डब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 18 जुलाई, 2007 की संख्या का.आ. 1174 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 13 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1539(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2007 की सं. का.आ. 1811 (अ), दिनांक 9 जनवरी, 2008 की सं. का.आ. 55(अ), दिनांक 4 मार्च 2008 की सं. का.आ. 428(अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2008 की संख्या का.आ. 865(अ) तथा दिनांक 31 जुलाई, 2008 की संख्या का.आ. 1894(अ) के तहत संशोधित की गई थी।